तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर/ 8116/ 2006 / करौली** **राजस्थान सरकार बनाम हजारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित :

श्री ओ0पी0भट्ट, उप राजकीय अभिभाषक ।
श्री धर्मेन्द्र सिंह टांक, अधिवक्ता अप्रार्थीगण।

—

आदेश

दिनांकः11—01—2021

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, करौली ने अपने आदेश एवं अभिशंषा दिनांक 12—10—2006 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया गया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार हिण्डौन ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर करौली के यहां प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नं0 199, 200 रकबा 06 बिस्वा ग्राम बहादुरपुर में स्थित है जिसके नवीन खसरा नं0 704, 705, 702/757, 707/758, 706, 710, 703, 702/756 रकबा 1.57 है, जिसका प्रार्थी लैण्ड होल्डर है। गत आराजी खसरा नं0 199, 200 रकबा 06 बिस्वा सन् 1947 एवं इसके पश्चात् गैर मु0नदी नदी दर्ज रिकार्ड थी। परन्तु नामान्तरकरण सं0 93 दिनांक 26—11—68 के द्वारा नहरी—2 से श्री रामखिलाड़ी पुत्र बण्डा कुम्हार निवासी बहादुरपुर के नाम आवंटन कर दिया गया। तत्पश्चात भू प्रबंध द्वारा गत खसरा नं0 199, 200 रकबा 06 बिस्वा का हाल खसरा नं0 702/757, 702/758, 706, 710, 703, 701 रकबा 1.57 बनाकर हाल जमाबंदी संवत् 2059 से 2062 तक में श्री हजारी पुत्र चिरमोली, बाबू पुत्र गोरधन माली निवासी करसोली के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार गैर मु0 नदी की भूमि

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर/ 8116/ 2006 / करौली** **राजस्थान सरकार बनाम हजारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	का नियम विरूद्ध अन्तरण हुआ है, जो अवैध है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत उक्त भूमि पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते है। अतः रेफरेंस स्वीकार कर अप्रार्थीगण के नाम दर्ज खातेदारी निरस्त कर पुनः राजकीय भूमि गैर मु0 नदी दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किया जावें। उक्त प्रा0 पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए। बाद सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12–10–2006 द्वारा अनुशंषा करते हुए यह रेफरेंस मण्डल को प्रेषित किया। मैंने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि विवादित आराजी पूर्व राजस्व रिकोर्ड अनुसार गैर मु0 नदी है। वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (1) के प्रावधानों के प्रभाव से वर्जित श्रेणी की भूमि है। जिसका आवंटन नहीं किया जा सकता है और न ही ऐसी भूमि पर किसी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो सकते। साथ ही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी अब्दुल रहमान के प्रकरण में इस प्रकार के आवंटनों को नियम विरुद्ध मानते हुये नदी– नालों, व पानी के बहाव क्षेत्रों को मूल स्वरूप में बहाल करने के निर्देश दिये हैं। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी पुनः राजस्व रिकोर्ड में गैर मु0 नदी दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावें। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क दिया कि तहसीलदार द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर रेफरेंस पेश किया गया है, क्योंकि विवादित भूमि कभी भी नदी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर/ 8116/ 2006 / करौली** **राजस्थान सरकार बनाम हजारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

नहीं रही है। विवादित भूमि अप्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है। विवादित भूमि का वे लगान जमा कराते है। पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर अप्रार्थीगण का नाम राजस्व अभिलेख में अंकित हो गया है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि रेफरेंस निरस्त किया जावें।

हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।

चूँकि राजस्व अभिलेख से विवादित भूमि का गैर मु0 नदी होना स्पष्ट है अर्थात उक्त भूमि जलस्त्रोत की है, ऐसी स्थिति में राजस्व विधियों एवं नियमों के अनुसार ''गैर मु0 नदी'' किस्म की भूमि ना तो आवंटन या नियमन योग्य है और ना ही ऐसी भूमि में किसी को खातेदारी अधिकार मिल सकते हैं।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 का नियम 4 (i) निम्न प्रकार हैः–

"4. Land not available for allotment under these rules.- The following categories of lands shall not be available for allotment for agricultural purposes under these rules, namely-

(ii) Land mentioned in the section 16 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955;"

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 की उपधारा (ii) निम्न प्रकार हैः–

16. Land on which Khatedari rights shall not accrue.-

Notwithstanding anything in this Act or in any other law or enactment for the time being in force in any part of the State Khatedari rights shall not accrue in-

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर/ 8116/ 2006 / करौली** **राजस्थान सरकार बनाम हजारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	(i) Land used for casual or occasional cultivation in the bed of river or tank; उपरोक्त विधिक प्रावधानों के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि नदी/नला/तालाब की भूमि अथवा नदी पेटा की भूमि आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है। 1970 के उक्त नियमों के नियम 20 द्वारा नियम 4 में शामिल भूमियों को नियमन योग्य नहीं माना है। इस प्रकार गैर मुमकिन श्रेणी नला, नदी, नाड़ी, तालाब आदि की भूमि ना तो आवंटन योग्य है और ना ही उसका किसी के नाम नियमन हो सकता है। अतः अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज विवादित आराजी विधि विरुद्ध है। वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड़ अनुसार विवादित आराजी वर्तमान अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। पूर्व राजस्व रिकोर्ड अनुसार विवादित भूमि की किस्म भूमि गैर मुमकिन नदी दर्ज है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के खाते में विवादित भूमि का किया गया इंद्राज प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य एवं निरस्तनीय है। परिणामतः हस्तगत रेफेरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि हाल आराजी खसरा नं0 704, 705, 706, 710, 703, 702/756, 702/757, 707/758 रकबा 1.57 स्थित ग्राम बहादुरपुर को राजस्व अभिलेख में पूर्वानुसार सिवायचक दर्ज कर उसकी किस्म गैर मु0 नदी अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर की जावें। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 श्रवण कुमार बुनकर)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एल.आर/ 8116/ 2006 / करौली** **राजस्थान सरकार बनाम हजारी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए